तटीय सुरक्षा के बहुमुखी आयाम

बी रंजन

भारत में समुद्र तट की सुरक्षा 1993 के मुंबई बम धमाकों से पूर्व प्रारंभिक स्तर की थी जबकि इस दुर्घटना से ये साबित हुआ कि धमाकों में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक समुद्री मार्ग से लाये गये थे। इसी के कारण तब तटीय सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता सामने आई। कारगिल युद्ध के बाद मंत्रियों के समूह की सिफारिशों ने इसके संस्थागत ढांचे की स्थापना को बढ़ावा दिया। मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमलों के बाद तटीय सुरक्षा रचना, ढांचे और तंत्र में आमूल परिवर्तन आया। इन प्रयासों के कार्यान्वयन के लगभग एक दशक के बाद क्या हमारी तटीय सुरक्षा प्रणाली में परिवर्तन आया है? यह आलेख सुरक्षा के वांछित स्तर को प्राप्त करने की दिशा में सभी हितधारकों के साथ समन्वय और सहयोग से भारतीय तटरक्षक बल के सामने आने वाली चुनौतियों और उसके कार्यों का विवरण प्रस्तुत करता है।

विशाल महासागर 363 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं और पृथ्वी की सतह के लगभग 72 प्रतिशत भाग के बराबर हैं। 600 मिलियन से अधिक लोग जो दुनिया की आबादी के लगभग 10 प्रतिशत भाग हैं समुद्र तल से 10 मीटर ऊपर वाले तटीय क्षेत्रों में रहते हैं और लगभग 2.4 बिलियन लोग जो दुनिया की आबादी का लगभग 40 प्रतिशत भाग हैं, तट के 100 कि.मी. क्षेत्र के भीतर बसे हैं। भारत के चार में से तीन मेट्रो शहर समुद्र तट पर स्थित हैं। भारत की लगभग 14.2 प्रतिशत आबादी तटीय जिलों में रहती है। भारत का व्यापार परिमाण में लगभग 95 प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से लगभग 68 प्रतिशत इस क्षेत्र के माध्यम से किया जाता है जिसके चलते हाल के वर्षों में बंदरगाह आधारित विकास योजनाओं को प्राथमिकता दी गयी है।

भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपतटीय विकास क्षेत्र महत्वपूर्ण है और हमारे पास विश्व स्तर पर मछली पकड़ने के सबसे बड़े बेड़ों में से एक है। संक्षेप में महासागर वैश्विक समृद्धि की जीवन रेखा है और हमारी आर्थिक संपन्नता के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। भारत जिसके मुख्य भू-भाग और द्वीप क्षेत्रों के साथ 7516 कि.मी. की तटरेखा है विश्व व्यापार की समुद्री अर्थव्यवस्थाओं में एक अहम स्थान रखता है और व्यस्ततम अंतरराष्ट्रीय नौपरिवहन मार्गों की निगरानी करता है। भारत के तट क्षेत्र में नौ तटीय राज्य, चार केंद्र शासित प्रदेश और 1295 द्वीप हैं जिनमें पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीपसमूह शामिल हैं। भारत के तटीय क्षेत्र में 12 प्रमुख बंदरगाहों और 239 से अधिक गैर-प्रमुख बंदरगाहों के अलावा प्रमुख वाणिज्यिक शहर और रक्षा, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम के अहम प्रतिष्ठान और निजी उपक्रम स्थित हैं जो तट क्षेत्र की संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं।

उत्तरदायित्व क्षेत्र (एओआर) की विशालता और उसमें निहित चुनौतियों का आकलन करने के लिए हमें हिंद महासागर के जल क्षेत्र वाले राष्ट्र के तौर पर एक निरोधात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। भारतीय प्रायद्वीप की भू-रणनीतिक स्थिति प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नौपरिवहन मार्गों, विद्वेषपूर्ण पड़ोसी देश द्वारा प्रायोजित सीमा-पार आतंकवाद, नशीले पदार्थों

डीआईजी बी रंजन वर्तमान में तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली में प्रधान निदेशक (संचालन और तटीय सुरक्षा) के पद पर कार्यरत हैं। ईमेल: proicg@rediffmail.com

और हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी आदि जैसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री अपराधों और भारतीय अंतरीप में मछली पकड़ने की सघन गतिविधियों के कारण विशिष्ट समुद्री चुनौतियों का सामना करती है। ऐसा अनुमान है कि हमारे तटों के क़रीब सालाना एक लाख से अधिक पोतों का पारगमन होता है। नीली अर्थव्यवस्था, बंदरगाह आधारित विकास योंजनाओं, तटीय नौवहन में वृद्धि, व्यापार प्रोटोकॉल मार्गों, क्रूज पर्यटन और सागरमाला परियोजना को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ समुद्री यातायात में और वृद्धि होने की आशा है। ये भारतीय तट के समीप समुद्री घटनाओं और चुनौतियों के बढ़ते आसार में तब्दील हो सकते हैं।

भारतीय प्रायद्वीप की भू-रणनीतिक स्थिति प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नौपरिवहन मार्गों, विद्वेषपूर्ण पड़ोसी देश द्वारा प्रायोजित सीमा-पार आतंकवाद, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी आदि जैसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री अपराधों और भारतीय अंतरीप में मछली पकड़ने की सघन गतिविधियों के कारण विशिष्ट समुद्री चुनौतियों का सामना करती है।

26/11 के आतंकवादी हमलों में समुद्री मार्ग का इस्तेमाल हमारे समुद्र तट और इसकी सुरक्षा की कमज़ोरियों को उजागर करता था। महासागर प्राकृतिक सम्पदा से परिपूर्ण है और समुद्री वातावरण व्यापक गतिविधियों का क्षेत्र है। इसलिए कई एजेंसियाँ समुद्र प्रशासन में हितधारक हैं जिनमें भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना, तटीय सुरक्षा पुलिस, सीमा शुल्क विभाग, मत्स्य पालन, बंदरगाह प्राधिकरण, खुफिया एजेंसियाँ और अन्य केंद्रीय और राज्य विभाग शामिल हैं।

बहु-एजेंसी व्यवस्था सीमित संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा पूर्ण सुरक्षा प्राप्त करने के लिए संबंधित एजेंसी के सहयोग, समन्वय और संस्थागत कार्य क्षेत्र नियंत्रण को अनिवार्य बनाती है। इस प्रकार गहन निगरानी के लिए एक स्तरीय तंत्र की व्यवस्था गठित हुई जिसमें भारतीय तटरक्षक बल को क्षेत्रीय जल में तटीय सुरक्षा की अतिरिक्त ज़िम्मेदारी सौंपी गयी है। इसमें तटीय पुलिस द्वारा गश्त किए जाने वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक को तटीय कमान कमांडर के रूप में मनोनीत किया गया है जिनके ऊपर तटीय सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समग्र समन्वय की ज़िम्मेदारी है।

तटीय सुरक्षा में शामिल सभी हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय के लिए सभी हितधारकों के परामर्श से भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को प्रख्यापित किया गया था। तात्कालिक खतरे से निपटने के लिए उच्च स्तर की तैयारी सुनिश्चित करने और अधिक बड़े खतरे के अंदेशों की प्रति जवाबी कार्यवाही को कारगर बनाने के लिए तटीय सुरक्षा अभ्यास 'सागर कवच' प्रत्येक तटीय राज्य के लिए वर्ष में दो बार आयोजित किया जाता है। इसके अलावा भारत सरकार ने समुद्र में निगरानी और गश्त के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय तटरक्षक बल और सभी संबंधित एजेंसियों के बुनियादी ढांचे और परिसंपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। उथले पानी की निगरानी के लिए द्वीप क्षेत्रों सहित तटीय राज्यों में गश्ती नौकाओं के साथ 200 से अधिक तटीय पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा तटीय मानचित्रण, गैर-प्रमुख बंदरगाहों पर सुरक्षा को मज़बूत करने, तटीय राज्यों द्वारा राज्य समुद्री बोर्डों की स्थापना और मछुआरों के लिए बायोमेट्रिक पहचान पत्र जैसे उपायों को भी लागू किया गया है। इन पहलों को आईसीजी(भारतीय तट रक्षक) द्वारा एक दशक से अधिक समय से समन्वित किया जा रहा है और इसके अपेक्षित परिणाम सामने आये हैं।

तट से 25 एनएम (नॉटिकल मील) तक समुद्र की ओर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के लिए तटीय निगरानी नेटवर्क (सीएसएन) स्थापित करके निगरानी पद्धति के साथ प्रौद्योगिकी का एकीकरण हासिल किया गया है। इसके तहत 46 रिमोट रडार स्टेशन स्थापित किए गए हैं और 38 रडार स्टेशन, 04 मोबाइल निगरानी प्रणाली और वीटीएमएस कनेक्टिविटी के तहत 13 रडार स्टेशन लगभग त्रुटिहीन निगरानी प्रदान करने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं।

भारतीय तटरक्षक और तटीय पुलिस द्वारा सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संयुक्त तटीय गश्त (जेसीपी) स्थापित किया गया है जिसमें तटीय पुलिस कर्मियों को संसाधनों के इष्टतम दोहन के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपायों के समन्वय में तटरक्षक जहाज़ों पर तैनात किया जाता है। भारतीय तटरक्षक पोतों और विमानों द्वारा नियमित उड़ानों के दौरान 1382 द्वीपों की निगरानी की जाती है।

समुद्र से खतरों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनएसए) के तहत समुद्री और तटीय सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण पर गठित राष्ट्रीय समिति (एनसीएसएमसीएस) और बहु-एजेंसी समुद्री सुरक्षा समूह (एमएएमएसजी) द्वारा तटीय सुरक्षा ढाँचे की प्रभावशीलता बढ़ाने

के उपायों के कार्यान्वयन की शीर्ष स्तर पर निगरानी और समीक्षा की जाती है। बेहतर अंतर-एजेंसी समन्वय और तालमेल के साथ बेहतर सूचना साझाकरण संशोधित तंत्र की विशिष्टता है। सुरक्षा एजेंसियाँ किसी भी समुद्री सुरक्षा घटना से निपटने में दृढ़ और सतर्क हैं। राज्यवार अंतर-एजेंसी तटीय सुरक्षा अभ्यास 'सागर कवच' के नियमित संचालन के माध्यम से अन्य सभी एजेंसियों को समन्वित तरीक़े से काम करने के लिए लगातार और व्यवस्थित प्रयासों और संकल्प ने इसमे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यद्यपि अनेक उपायों को लागू किया गया है और व्यवस्थित तंत्र स्थापित किया गया है फिर भी यह सवाल उठता है कि ''क्या हमने घुसपैठ को रोकने और अपनी तटरेखा को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाये हैं?'' इसका उत्तर महासागरों की गहराई में निगरानी के लिए शुरू किए गए उपायों में निहित है क्योंकि समुद्र तट के लिए खतरा समुद्र तट की बजाय कहीं अधिक समुद्र के गहरे जल क्षेत्र में उत्पन्न होता है। इसलिए समुद्र तट की लंबाई के बजाय विस्तार क्षेत्र के संदर्भ में समुद्र का परिमाण निर्धारित किया जाना चाहिए।

7516.60 कि.मी. तक फैला समुद्र तट जो भूमि सीमाओं का एक तिहाई है और भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) का 2.01 मिलियन वर्ग कि.मी. क्षेत्र जो भारत के लगभग 61 प्रतिशत भूभाग के बराबर है, को पोतों, विमानों और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपायों द्वारा निगरानी से सतत रूप से सुरक्षित रखा जाना है। भारत के ईईजेड की निगरानी के लिए औसतन 45-50 भारतीय तटरक्षक पोत और 10-12 विमान प्रतिदिन तैनात किए जाते हैं। भारतीय तटरक्षक पोत और विमान अत्यावश्यक प्रतिरोध प्रदान करते हैं और भारत के समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं जिससे ऐसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा होती है।

तटीय सुरक्षा को समुद्र में प्रभावी क़ानून प्रवर्तन उपायों को 24X7X365 लागू किया जाना है जिसे भारतीय तटरक्षक बल द्वारा नियमानुसार समन्वित किया जाता है। भारतीय तटरक्षक विगत वर्षों में एक सशक्त बल के रूप में उभरा है और इसने 'समुद्र के प्रहरी' की उपाधि अर्जित की है। यह बल समुद्री क़ानून प्रवर्तन, महासागर शांति व्यवस्था, तस्करी विरोधी कार्यवाही, समुद्री खोज और बचाव और कई अन्य मानवीय कार्यों को अंजाम दे रहा है

तटीय सुरक्षा के लिए चुनौतियों के रूप में महत्वपूर्ण मुद्दे और साथ ही देश के छोटे पोतों से लेकर ईंधन ढोने वाले विशाल पोतों की सुरक्षा मुख्य रूप से समुद्र के क़ानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) की क़ानूनी व्यवस्था में अंतर्निहित है और इसलिए विभिन्न अन्य लागू राष्ट्रीय अधिनियमों और उसके नियमों के तहत उनको अपनाया जाता है। इसके अतिरिक्त तटीय सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार विभिन्न हितधारकों द्वारा अधिकरण के निष्पादन में कार्यों के नियमित अद्यतन के रूप में जवाबदेही निर्धारण के लिए एक उचित अनुवर्ती प्रणाली तैयार करना है। अंत में प्रभावशाली संचार के साथ कार्यान्वयन में सहायता देना शामिल है।

तटीय सुरक्षा के लिए 26/11 के बाद उभर कर आने वाली बहु-हितधारक व्यवस्था संबंधित तटीय राज्यों के मुख्य सचिवों के माध्यम से संचालित होती है। एनसीएसएमसीएस के जरिये कैबिनेट सचिव की निगरानी में सीमा प्रबंधन प्रभाग के माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निरीक्षित यह व्यवस्था सभी कार्यों का समयबद्ध कार्यान्वयन और कई हितधारकों के बीच उच्च स्तर का समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक इष्टतम नज़रिया प्रदान करता है।

वर्तमान तटीय सुरक्षा व्यवस्था ने तालमेल और समन्वय की सफलतापूर्वक रचना की है जो वर्तमान सुरक्षा वातावरण में अति आवश्यक है और इसे जारी रखा जाना चाहिए। एक पंक्ति में कहा जाये तो तटीय सुरक्षा तट के समीपवर्ती क्षेत्र में 'क़ानून और व्यवस्था' का रखरखाव है और समुद्र में अच्छा अनुशासन बनाए रखने के लिए महासागर प्रशासन का एक उपवर्ग है।

संक्षेप में तटीय सुरक्षा को समुद्र में प्रभावी क़ानून प्रवर्तन उपायों को 24x7x365 लागू किया जाना है जिसे भारतीय तटरक्षक बल द्वारा नियमानुसार समन्वित किया जाता है। भारतीय तटरक्षक विगत वर्षों में एक सशक्त बल के रूप में उभरा है और इसने 'समुद्र के प्रहरी' की उपाधि अर्जित की है। यह बल समुद्री क़ानून प्रवर्तन, महासागर शांति व्यवस्था, तस्करी विरोधी कार्यवाही, समुद्री खोज और बचाव और कई अन्य मानवीय कार्यों को अंजाम दे रहा है जिसके कारण इसे सही मायने में 'उद्धारक' की संज्ञा दी जानी चाहिए। पिछले चार दशकों में यह हमारे राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा के लिए विविध और समवर्ती कार्यों को संपन्न करने के साथ बहुमुखी मिशन वाले एक अजेय बल के रूप में विकसित हुआ है। ■